रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13062022-236527
CG-DL-W-13062022-236527

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, जून 5— जून 11, 2022, शनिवार/ /ज्येष्ठ 15—ज्येष्ठ 21, 1944
No. 21] NEW DELHI, JUNE 5—JUNE 11, 2022, SATURDAY/ JYAISTHA 15– JYAISTHA 21, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो)

नई दिल्ली, 7 जून, 2022

सा.का.नि. 81.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में निरीक्षक (लाइन्स) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल निरीक्षक (लाइन्स), भर्ती नियम, 2022 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबध्द अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदिः- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आर्क्षणों, आयु-सीमा में छूट अन्य रियायतो पर प्रभाव नही डालेंगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछ्ड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निरीक्षक (लाइन्स)।	01* (2022) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर - 7 वेतन-मैट्रिक्स में स्तर (रु.44,900-1,42,400/-),	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्तिः केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या केंद्रीय पुलिस संगठन के अधिकारी जो:- (क) (i) अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण करते हों; या (ii) उप निरीक्षक या प्लाटून कमांडर के पद पर वेतन-मैट्रिक्स के स्तर -6 (रु. 35,400-1,12,400/-) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते होः- **अनिवार्यः** (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री। (ii) प्रशासन या स्थापना या मानव संसाधन प्रबंधन या उप निरीक्षक के रुप में (क्वार्टर मास्टर) या उप निरीक्षक के रूप में (एडजुटेंट) में तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1 -** प्रतिनियुक्ति की अवधि, केंद्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 -** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 23011/88/2022-बीपीआरएंडडी]

सुनील बरेजा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Bureau of Police Research & Development)

New Delhi, the 7th June, 2022

G.S.R. 81.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Inspector (Lines) in Central Academy for Police Training, Bhopal under Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal, Inspector (Lines), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix. – The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications. - No person:

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Inspector (Lines).	01* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group – 'B' Non-Gazetted,. Non-Ministerial.	Level - 7 (Rs. 44,900-1,42,400/-). In the Pay matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Armed Police Forces or Central Police Organisation: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years of regular service in the post of Sub-Inspector or Platoon Commander in level 6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix; and (b) possessing the following educational qualification and experience: **Essential:** (i) Bachelors Degree from a recognised university or institute; (ii) Three years experience in administration or Establishment or Human Resource Management or working as Sub Inspector (Quarter Master) or working as Sub Inspector (Adjutant). **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 23011/88/2022-BPR&D]

SUNIL BAREJA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

सा.का.नि. 82.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (चिकित्सा अभिलेख अधिकारी), भर्ती नियम, 1995 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप

किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा अभिलेख अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा अभिलेख अधिकारी समूह)'ख' पद(, भर्ती नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –**उक्त पद की संख्याउसका वर्गीकरण , और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ) 2) से स्तंभ (4 में विनिर्दिष्ट (है।

3. **भर्तीकी पद्धति ,आयुसीमा-, अर्हताएं, आदि -**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति ,आयु ,सीमा-अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है ,विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा अभिलेख अधिकारी	01*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	प्रोन्नति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में ऐसे चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो । **टिप्पण**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेंगी :- 1. उप प्रधानाचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -अध्यक्ष; 2. सहायक महानिदेशक (एमई), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभारी उप निदेशक -सदस्य; 4. उप निदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेंगी :- 1. उप प्रधानाचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -अध्यक्ष; 2. सहायक महानिदेशक (एमई), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभारी उप निदेशक -सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	4. उप निदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य।	

[फा. सं. ए.11018/01/2001-आरआर(पार्ट)]

गणेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2022.

G.S.R. 82.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College & Smt. S. K. Hospital, New Delhi (Medical Records Officer), Recruitment Rules 1995 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post for Medical Records Officer in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare , Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi , Medical Records Officer (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Medical Record Officer.	1* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non -Gazetted, Non -Ministerial.	Level-6 in the pay-matrix (35400-112400)	Selection Post.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level in the pay matrix from which promotion or deputation or absorption to be made,	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Medical Record Technician in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital with 10 years regular service in Level-4 (Rs.25500-81100/ -) in the pay matrix and **having successfully completed training of at least two weeks as prescribed by the Competent Authority.** Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more	Department promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1.Vice Principal , Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairman ; 2. Assistant Director General (ME), Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director in-charge of	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Medical Education department in Directorate General of Health Services -Member; 4. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member. Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of: 1.Vice Principal , Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairman ; 2. Assistant Director General (ME), Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director in-charge of Medical Education department in Directorate General of Health Services -Member; 4. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member.	

[F. No. A-11018/01/2001-RR(PT)]

GANESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

सा.का.नि. 83.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (मुख्य सफाई अधीक्षक) समूह 'ग' भर्ती नियम, 1995 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में मुख्य सफाई अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

2. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, मुख्य सफाई अधीक्षक भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान-**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ(4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	**पद की संख्या ।**	**वर्गीकरण ।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।**	**चयन या अचयन पद ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुख्य सफाई अधीक्षक	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400)	चयन।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ऐसे सफाई अधीक्षक में से प्रोन्नति जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 5(रु. 29200-92300) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या 2 वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति** (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): (i)केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी:	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर स्वास्थ्य अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष; 2. संबद्ध विभागाध्यक्ष, सफाई विभाग, डॉ. राम मनोहर अस्पताल - सदस्य; 3. उप निदेशक, चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर स्वास्थ्य अधीक्षक, डॉ.	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(क)(i)जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii)जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5(रु. 29200-92300) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हता हो: (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विधा विशेष में बैचलर डिग्री; (ii) सफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या सफाई स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा; या (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) सफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या सफाई स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा; (iii) किसी मान्यताप्राप्त संगठन में सफाई कार्य की देखभाल का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 'छप्पन वर्ष से अधिक नहीं' होगी ।	राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष; 2. संबद्ध विभागाध्यक्ष, सफाई विभाग, डॉ. राम मनोहर अस्पताल - सदस्य; 3. उप निदेशक, चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।	

[फा. सं. ए-11018/30/2003 आरआर (एमएच-II)भाग I]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 6th June, 2022

G.S.R. 83.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi (Chief Sanitary Superintendent) Group 'C' Recruitment Rules 1995 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Sanitary Superintendent in the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Chief Sanitary Superintendent Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. – The method of recruitment age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in Pay Matrix.	Whether selection post or Non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Chief Sanitary Superintendent	01* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the Pay Matrix (Rs. 35400-112400)	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruitment.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.
(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for promotees	By promotion failing which by deputation including short-term contract.	Promotion: Sanitary Superintendent of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital with six years of regular service in level-5 of the pay matrix (Rs.29200-92300). Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service, or 2 years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation (including short-term contract):- (I) Officers under the Central or State Government or Union territories or autonomous or statutory organizations or Public Sector Undertaking or University or recognized Research Institution. (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis level – 5 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre/department; And (b) possessing the following educational qualifications and experience: (a) (i) Bachelor degree in any discipline from any recognized

		university/institute. Diploma in Sanitary Inspector or Diploma in Health Inspector or Diploma in Sanitary Health Inspector. Or (b) (i) 12th class pass or equivalent from a recognized board/institute. (ii) Diploma in sanitary inspector or Diploma in health inspector or Diploma in sanitary health inspector (iii) 2 years' experience in dealing with sanitation works in any recognized organization. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note - 3** : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1.Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Chairman; 2.Head of the Sanitary Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member;	Consultation with the Union Public Services Commission is not necessary.

3.Deputy Director, Medical Hospital, Directorate General of Health Services -Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1.Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Chairman; 2.Head of the sanitary department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member; 3.Deputy Director, Medical Hospital, Directorate General of Health Services -Member.	

[F. No. A-11018/30/2003 RR (MH II) Pt I]

GANESH KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.06.13 16:16:48 +05'30'